न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2017/00103

अपील संख्या – 77/17

1. रामधन पुत्र कल्या जाति कुम्हार निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. गोपी पुत्र कल्या जाति कुम्हार निवासी जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मीठया पुत्र बदरी जाति कुम्हार
2. सूरज पुत्र बदरी जाति कुम्हार
3. बच्चूलाल पुत्र बदरी जाति कुम्हार निवासीयान जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी उप तहसील तलावडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 64/89 निर्णय दिनांक 12.6.89 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 05.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.6.89 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में कल्या, बदरी पिसरान गोरया जाति कुम्हार निवासी जैतपुर ने अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 53 आर टी एक्ट के तहत भूमि खाता संख्या 12 के ख0न0 213,211,214,215,216,217,221,222,223,224,245,251,256, 731/998 कुल किता 14 कुल रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम जैतपुर तहसील गंगापुर सिटी जो कि कल्या पुत्र गोरया , बदरी पुत्र सुखचंद की खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका बंटवारा सहमति के आधार पर किये जाने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा किये जाने से व्यथित होकर कल्या के वारिस अपीलांट रामधन व गोपी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयदाद मिसल पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। वाके ग्राम जैतपुर की आराजी ख0न0 213,211,214 लगायत 217, 221 लगायत 224,245,251,256 एवं 731/998 कुल किता 14 कुल रकबा 2.20 है0 कल्या पुत्र गोरया ,बदरी पुत्र सुखचंद की खातेदारी मे दर्ज रही है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के पूर्वतया विपरीत है तथा इस प्रोविजन के तहत सहमति से भूमिधारी द्वारा विभाजन किया जाता है। जबकि उक्त प्रकरण मे अपीलांट के पिता कल्या की फर्जी निशानी अंकित कर उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन मे सम्पादित की गई है। मौके एवं कब्जे की जॉच नही की गई है तथा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12.6.89 को ही रिपोर्ट की जाकर तहसीलदार ने अपनी सहमति दी है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ सील लगाकर उक्त आदेश पारित किया है। जबकि आदेश पर हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार आदेश विधि की नजर मे शून्य होने से तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोटिनेन्सी की आराजी को हिस्से अनुसार समान रूप से विभक्तिकरण करना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ख0न0 211 जो शामलाती आबादी है को बदरी के खाते मे दर्ज कर दी है जबकि मौके पर बदरी के वारिसान का आधे हिस्से पर मकान बना हुआ है तथा अपीलांट का आधे हिस्से पर टीन ,छप्पर पोश बाडा बना हुआ है। जिसको वह अपने उपयोग मे बुजुर्गो के समय से ही काम लेता चला आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा कब्जे एवं मौके की जॉच नही की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश पर उप जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पक्षकार बदरी से सांझ कर जल्दबाजी मे बिना न्यायिक विवेक के पारित किया है। उन्होने जो विभाजन किया है वह स्वीकार है या खारिज स्पष्ट नही है। तथा कल्या एवं बदरी दोनो की बल्दियत गोरया दर्ज की है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी रूप से तैयार की गई है। मौके पर इसी प्रकार आराजी ख0न0 222 व 214 अपीलांट के कब्जे काश्त मे है। रेस्पो0 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी है। अपीलांट को जो आराजी ख0न0 731/998 विभाजन द्वारा प्रदत्त करना दर्शाया है वह 3 किलोमीटर दूर है। उक्त आदेश की आड मे राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्टि जल्दबाजी मे दर्ज कर दी गई है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। दिनांक 3.7.17 को रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को ऐलानियां धमकी दी गई कि आराजी ख0न0 211,222, 214 हमारे खाते मे दर्ज है हमने बंटवारा करा लिया है इसको हम बेचकर रहेगे इस पर पटवारी हल्का से मिलकर नामा0की नकल प्राप्त करने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.6.89 को अपास्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे किये गये परिवर्तन खारिज फरमाये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि सर्वप्रथम यह ध्यान देने योग्य विषय है कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.6.89 के विरूद्व अपील काफी अर्से पश्चात 28 साल के बाद पेश की गई है। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब का भी अपीलांट द्वारा कोई विधिक कारण का उल्लेख प्रार्थना पत्र मे नही किया है। इस प्रकार पृथम दृष्टया अपीलांट की अपील धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित है। अपीलाधीन निर्णय मे विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण ही पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 53 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही पटवारी हल्का एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उभयपक्ष की सहमति से बंटवारा किया गया है। जहॉ तक बंटवारा स्कीम पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर की बात है इसके संबंध मे निवेदन है कि लिपिकीय भूलवंश ही उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर बंटवारे पर होने से रहे है। जो एक सदभाविक भूल है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर एवं सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण ही पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से धारा 53 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर ही बंटवारे की कार्यवाही की गई है परन्तु बंटवारा आदेश दिनांक 14.6.89 पर उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक सम्पूर्ण आदेश नही होकर अपूर्ण, विधि के विपरीत आदेश की श्रेणी मे आता है। जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को बंटवारा स्कीम मौके एवं कब्जे अनुसार प्राप्त कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 64/89 निर्णय दिनांक 12.6.89 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की मौके एवं कब्जे की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:32 IST
Reason: SelfAttested